जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा

प्रारुप – २

(विनियम १७ का उप–विनियम (२) तथा विनियम ३२ का उप–विनियम (२) देखिए)

वचनबध्द-सह-घोषणा

मै. .... आयु लगभग ....

वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....

निवासी ग्राम .... पो. .... तह. .... जिला ....

एतद् द्वारा निम्नानुसार से वचन देता/देती हूँ तथा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के सचिव या सदस्यों में से किसी एक सदस्य द्वारा किये गये किसी एक अधिग्रहण तथा निर्देशों का अनुपालन करुंगा।
2. मैं समिति/जिला प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध किये गये विधिक सेवा अधिवक्ता को मेरे मामले में सभी तथ्यों कि पूर्ण तथा सही जानकारी दूँगा।
3. मैं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश/न्यायालय .... में

   (क) .... के निर्णय से अपील में,

   (ख) .... के लिए रिट की अधिकारिता में,

   (ग) .... के रुप में कार्यवाही करने या उनका

   प्रतिरक्षण करने के लिए .... जाना चाहता हूँ।

   (जो लागू न हो उसे काट दे)

4. मैं एतद् द्वारा यह करार करता हूँ कि उस दशा में जबकि न्यायालय द्वारा मेरे पत्र में कोई डिक्री या आदेश पारित करते हुए मुझे खर्चे या अन्य मौद्रिक प्रसुविधा या लाभ दिया जाता है तो मैं, मुझे विधिक सेवा प्रदान करने में समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त खर्चे, फीस तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के तौर पर समिति/जिला प्राधिकरण को भुगतान करुंगा। मैं एतद् द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के सचिव को ऐसी समस्त कार्य तथा बाते जो कि मुझे भुगतान किये जाने के लिए डिक्री की गई या आदेश दी गई रकम की वसूली या उपयाप्त करने के लिए आवश्यक हो, करने के लिए भी प्राधिकृत करता हूँ और उक्त वर्णित प्रयोजन के लिए उसकी प्रतिपूर्ति करें।
5. मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उस दशा में यदि किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई प्रसुविधा मेरे पक्ष में प्रदान की जाती है तो उच्च न्यायालय/न्यायालय, इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि मुझे/जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने के लिए उपगत किये गये व्यय के प्रति समिति/जिला प्राधिकरण ऐसी रकम का उपयोजन कर सकेगा तथा समिति/जिला प्राधिकरण को भी इस संबंध में सही जानकारी दूंगा।
6. मैं करार करता हूँ कि मेरे मामले को माननीय उच्च न्यायालय/न्यायालय में लोक अदालत के समक्ष सूचिबध्द किया जाए, यदि किसी भी स्तर पर समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा यह विचार किया जाता है कि मेरे मामले में लोक अदालत के माध्यम से सुलह हो सकती है या विनिश्चय किया जा सकता है।

आवेदक